## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
## पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

प्र0सं0 – 13/2023

बनवान : —

1 ओमप्रकाश पुत्र श्री झिन्डुराम जाति रेगर निवासी वार्ड नं. 25 तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

—प्रार्थी

बनाम्

1. मदन लाल पुत्र श्री झिण्डुराम जाति रेगर निवासी वार्ड नं. 25 तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट**
**सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 एक्ट**

उपस्थिति :—श्री लीलाधर अग्रवाल प्रार्थी
श्री नरेन्द्र शर्मा अप्रार्थी

## निर्णय

दिनांकः 17/07/2023

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 के आर पी के वर्तमान खाता संख्या 162/81 के मु0न0 18 के किला नं0 7/1 की 0.126है0, 14, 17, 24 प्रत्येक 0.253है0, मु0न0 29 के किला नं0 4/1, 4/2, 13, 18, मु0न0 41 के किला नं0 1/2, 1/4, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 की 2.605है0 जिसमें नहरी 2.430है0, खाला 0.175है0 प्रार्थी की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 1 के आर पी के वर्तमान खाता संख्या 163/81 के मु0न0 18 के किला नं0 12, 13, 18, 19, 22, 23 की 1.518है0, मु0न0 29 के किला नं0 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 14, 17, 24/1 की कुल 2.544है0, नहरी 2.494है0 व खाला 0.050है अप्रार्थी सं0 मदन लाल के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है।

प्रार्थी व अप्रार्थी अपनी खातेदारी में जाने के लिए मु0न0 29 के किला नं0 14, 17, 24 के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण [illegible] बिस्वा रास्ता व मु0 नं0 41 के किला नं0 4 के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण एक–एक बिस्वा रास्ता दर्ज किया जावे जिससे दोनों के आवगमन में किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसलिए पारिवारिक बटवारानाम कर लिया था जिसमे रास्ता स्वीकृत की गई थी लेकिन [illegible] विभाजन के दावा में रास्ता दर्ज हो जाने से रह गया था। उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में करने के लिए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:46:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रार्थी तथा अप्रार्थी ने आपसी सहमती से राजीनामा प्रस्तुत किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि मु0न0 29 के किला नं0 14, 17, 24 के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण दिशा में व मु0 नं0 41 के किला नं0 4 के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण में एक–एक बिस्वा रास्ता दर्ज किया जावे जो सदामद से चला आ रहा है, उक्त रास्ता के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद बाबत प्रार्थी व अप्रार्थी ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया है जिसके मुताबिक प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य किसी भी प्रकार का लेन–देन व रास्ता की भूमि के एवज में भूमि का आदान–प्रदान नहीं हुआ है और ना ही प्रार्थी व अप्रार्थीगण इस प्रकार से आदान–प्रदान करना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने अपनी खातेदारी में आवागमन के लिए मु0न0 29 के किला नं0 14, 17, 24 के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण में व मु0 नं0 41 के किला नं0 4 के पश्चिम में उत्तर से दक्षिण में एक–एक बिस्वा रास्ता दर्ज करवाने के लिए आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया है जिसके मुताबिक प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य किसी भी प्रकार का लेन–देन व रास्ता की भूमि के एवज में भूमि का आदान–प्रदान नहीं हुआ है और ना ही प्रार्थी व अप्रार्थी इस प्रकार से आदान–प्रदान करना चाहते है । इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे चक 1 के आर पी के मु0न0 29 के किला नं0 14, 17, 24 के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण में व मु0 नं0 41 के किला नं0 4 के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण में एक–एक बिस्वा रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त करें।

निर्णय आज दिनांक 17.07.20.. को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:46:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़